भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
23.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 645 का उत्तर

गोपालपुर-रैराखोल रेलवे लाइन को शामिल करना

645. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोपालपुर-रैराखोल नई रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसमें कंधमाल का फूलबनी जिला मुख्यालय शामिल है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन के बावजूद पूर्व की डीपीआर से फूलबनी को बाहर करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने ओडिशा रेल अवसंरचना विकास लिमिटेड (ओआरआईडीएल) को डीपीआर को संशोधित करने और संरेखण में फूलबनी को शामिल करने का निर्देश दिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो संशोधित डीपीआर की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इसे पूरा करने और रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है; और

(च) क्या अगले वित्तीय वर्ष में परियोजना के लिए सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण या प्रारंभिक कार्यों हेतु कोई धनराशि आवंटित या प्रस्तावित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): ओडिशा सरकार और रेल मंत्रालय की संयुक्त उद्यम कंपनी ओडिशा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (ओआरआईडीएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही रेढ़ाखोल-गोपालपुर नई लाइन परियोजना के माध्यम से कंधमाल जिले के लिए रेल संपर्क प्रदान करने का प्रस्ताव है।

इस नई रेल लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ओडिशा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी। बहरहाल, प्रस्तावित नई लाइन का संरेखण फूलबनी से होकर नहीं गुजर रहा था, जो ओडिशा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को दिए गए सैद्धांतिक अनुमोदन का उल्लंघन था।

तदनुसार, ओडिशा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को गोपालपुर-रेढ़ाखोल नई रेल लाइन के संरेखण की समीक्षा करने और फूलबनी को इसमें शामिल करने को कहा गया है। ओडिशा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा सर्वेक्षण कार्य और फूलबनी होते हुए संरेखण को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन यथा नीति आयोग का मूल्यांकन, वित्त मंत्रालय आदि की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

******